


168
21/10/20

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
आदेश



भोपाल दिनांक 29/09/2020

क्रमांक एफ 12-16/2020/सत्रह/मेडि-तीनः राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. ग्राम खरबई विकास खंड सांची जिला रायसेन में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाए।
2. ग्राम सांचेत विकास खंड सांची जिला रायसेन में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाए।
3. ग्राम प्रतापगढ़ विकास खण्ड सिलवानी एवं ग्राम सांचेत विकास खण्ड सांची में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (06 बिस्तर) की स्थापना की जाए।

नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के फलस्वरूप दन संस्थाओं में अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति पृथक से जारी की जाएगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मलिका निगम नागर)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 29/09/2020

Dev Section 168
21/10


पृ.क्रमांक एफ 12-16/2020/सत्रह/मेडि-तीन

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

168 (DEV)
S

3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश गवालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. आयुक्त कौष, लेखा एवं पेशन मध्यप्रदेश भोपाल।
7. कलेक्टर जिला रायसेन मध्यप्रदेश।
8. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
9. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायसेन मध्यप्रदेश।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला रायसेन मध्य प्रदेश।
12. मुख्य अभियंता, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश।
13. आर्डर फाईल।


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

